

# लेखा . योग

मूल्य हास एवं इसका लेखाङ्कन - १

अङ्क १०४ अगस्त-०४, (मार्च- ०५ में प्रकाशित)

इस अंक में

मूल्यहास क्या है।	१
मूल्यहास विधि	१
१. स्थिर-मूल्य विधि	१
२. मूल्यहासित-शेष विधि	२
पूँजीगत-निधि	३
१. परियोजना अनुदान से क्रय किये जाने पर:	३
२. स्वयं की निधि से क्रय किये जाने पर	४
शब्दावली	४

मूल्यहास बड़े लम्बे समय से जन-सेवी संस्थाओं के बीच एक विवादास्पद विषय रहा है। कुछ संस्थाएँ नियमित रूप से मूल्यहास प्रभारित करती हैं जबकि कुछ अन्य संस्थाएँ किसी भी प्रकार का मूल्यहास प्रभारित नहीं करती।

उन जन-सेवी संस्थाओं के लिए, जो मूल्यहास प्रभारित करती हैं, यह प्रश्न सामने आता है कि इसके लिए किस दर का प्रयोग किया जाए? इसके अतिरिक्त, मूल्यहास के लेखाङ्कन के संबंध में भी स्थिति स्पष्ट नहीं है।

लेखा योग<sup>१</sup> के इन दो अङ्कों में मूल्यहास से संबंधित विषयों पर चर्चा की गई है: मूल्यहास क्या है, इसकी गणना कैसे की जाती है और अन्ततः प्रभारित मूल्यहास का लेखाङ्कन किस प्रकार से किया जाता है।

## मूल्यहास क्या है।

जब आप कोई अचल सम्पत्ति क्रय करते हैं तो इसका एक निर्धारित जीवनकाल होता है जिस समय तक आप

इसका प्रयोग कर सकते हैं। उस अवधि के पश्चात् सम्भवतः इसको प्रतिस्थापित करना ही पड़ता है।

उदाहरण के लिए- एक छप्परवाली झोपड़ी का जीवनकाल ५ से १० वर्ष तक हो सकता है, जबकि आर० सी० सी०<sup>२</sup> से निर्मित भवन का जीवनकाल लगभग १०० वर्ष होता है। ऐसा मुख्यतः टूट-फूट के कारण होता है। कुछ सम्पत्तियों की कार्यावधि विभिन्न कारणों से बहुत कम होती है। उदाहरण के लिए- कम्प्यूटर अति शीघ्र अप्रचलित हो जाते हैं।

मूल्यहास प्रभारित करना यह सुनिश्चित करने का एक माध्यम है कि अचल सम्पत्तियों को तुलन-पत्र में बढ़ी हुई दरों पर नहीं दर्शाया गया है। सामान्यतः प्रभारित किए गए मूल्यहास की राशि को लाभ एवं हानि खाते में दर्शाया जाता है। इस प्रकार, इससे अचल सम्पत्तियों के जीर्ण-शीर्ण हो जाने पर उनके प्रतिस्थापन के लिए एक प्रारक्षित-निधि के सृजन में भी सहायता मिलती है।

मूल्यहास की अवधारणा विशेष रूप से व्यवसायी उद्यमियों के लिए विकसित की गई है। क्या हम इसे जन-सेवी संस्थाओं पर भी लागू कर सकते हैं? इस संबंध में अभी तक कोई पूर्ण सहमति नहीं बन सकी है। जैसा कि पहले ही कहा जा चुका है कि कुछ जन-सेवी संस्थाएँ मूल्यहास प्रभारित करती हैं जबकि कुछ संस्थाएँ ऐसा नहीं करती।

## मूल्यहास विधि

सम्पत्तियों पर मूल्यहास प्रभारित करने की दो प्रचलित विधियाँ हैं। एक विधि को स्थिर-मूल्य विधि तथा दूसरी विधि को मूल्यहासित-शेष विधि कहते हैं। इन विधियों की कार्य-पद्धति नीचे दिए अनुसार है:-

### १. स्थिर-मूल्य विधि

इस विधि के अन्तर्गत मूल्यहास की राशि सम्पत्ति की पूरी कार्यावधि में एक समान रहती है। उदाहरण के लिए- यदि किसी सम्पत्ति की अनुमानित कार्यावधि २८ वर्ष है

<sup>१</sup> अङ्क १०४ एवं १०५

<sup>२</sup> प्रचलित सीमेंट कंक्रीट

तो उस सम्पत्ति की लागत को २८ से विभाजित कर दिया जाएगा। इसके बाद यह विभाजित राशि ही प्रत्येक वर्ष प्रभारित की जाने वाली मूल्यहास की राशि होगी।

तथापि, अधिकांश लोग मूल्यहास की मानक दरों का ही प्रयोग करते हैं। मूल्यहास की स्थिर-मूल्य विधि के अन्तर्गत प्रयोग की जाने वाली मूल्यहास की कुछ सामान्य दरें निम्नलिखित हैं:-

श्रेणी	स्थिर-मूल्य विधि की दर	कार्यावधि (वर्षों में)
भवन <sup>३</sup>	१.६३%	५८
संयंत्र एवं यंत्रिका	४.७५%	२०
कार्यालय उपकरण	४.७५%	
साइकिल	७.०७%	
मोटर कार/ मोटर साइकिल, स्कूटर	९.५%	
मोटर बस/ ट्रक, ट्रैक्टर	११.३१%	
कम्प्यूटर	१६.२१%	६
फर्नीचर एवं जुड़नार	६.३३%	
विद्यालयों, महाविद्यालयों, सभा कक्ष, कल्याण केन्द्रों आदि में प्रयुक्त फर्नीचर एवं जुड़नार	९.५%	
मछली पकड़ने की नाव	१०%	
अन्तः स्थलीय नाव	३.३४%	

यह दरें कम्पनी अधिनियम १९५६<sup>४</sup> से उद्धृत की गई हैं।

मूल्यहास की अन्य दरें आयकर अधिनियम १९६१ में भी दी गई हैं। तथापि, ये दरें कर-निर्धारित को वित्तीय लाभ<sup>५</sup> प्रदान करने के उद्देश्य से निर्धारित की गई हैं। चूंकि जन-सेवी संस्थाओं को आयकर का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है इसलिए ये दरें हमारे प्रयोजन के लिए उपयुक्त नहीं हैं।

स्थिर-मूल्य विधि की दर प्रत्येक वर्ष सम्पत्ति की मूल लागत पर लागू होती है। मूल लागत को सकल खण्ड भी कहा जाता है। निम्नलिखित उदाहरण में यह दर्शाया

<sup>३</sup> सड़कों, पुलियाँ, कुएँ एवं नलकूपों सहित

<sup>४</sup> अनुसूची XIV

<sup>५</sup> ऊर्जा संरक्षण जैसे साधनों की कुछ शीर्षकों के लिए उच्चतर दरों को विनिर्दिष्ट करके आयकर की घटी हुई दरों के रूप में

गया है कि यह गणना किस प्रकार से की जाती है। इस उदाहरण में कम्प्यूटरों की मूल लागत १,००,००० रुपये है।

वर्ष	गणना	मूल्यहास
१	१,००,००० X १६.२१%	१६,२१०
२	१,००,००० X १६.२१%	१६,२१०
३	१,००,००० X १६.२१%	१६,२१०
४	१,००,००० X १६.२१%	१६,२१०

## २. मूल्यहासित-शेष विधि

इस विधि में सम्पत्ति के शुद्ध-मूल्य पर मूल्यहास की दर लागू होती है। इस संदर्भ में शुद्ध-मूल्य से क्या अभिप्राय है?

मान लें कि कम्प्यूटरों की मूल लागत १,००,००० रुपये है। पहले वर्ष में मूल्यहास की गणना इस राशि के आधार पर की जाएगी। यदि मूल्यहास की दर ४०% है तो मूल्यहास की राशि ४०,००० रुपये होगी। इस प्रकार सम्पत्ति का शुद्ध मूल्य अब ६०,००० रुपये हो जाएगा। अगले वर्ष मूल्यहास की गणना नीचे दर्शाए अनुसार इस राशि (६०,००० रुपये) पर की जाएगी:

वर्ष	गणना	मूल्यहास की राशि
१	१,००,००० X ४०%	४०,०००
२	६०,००० X ४०%	२४,०००
३	३६,००० X ४०%	१४,४००
४	२१,६०० X ४०%	८,६४०

मूल्यहासित-शेष विधि में मूल्यहास की दरें स्थिर मूल्यहास विधि की अपेक्षा अधिक होती हैं। ये दरें नीचे दी गई हैं:

श्रेणी	मूल्यहासित-शेष विधि की दरें	कार्यावधि (वर्षों में)
भवन <sup>६</sup>	५%	
संयंत्र एवं यंत्रिका	१३.९१%	
कार्यालय उपकरण	१३.९१%	
साइकिल	२०%	

<sup>६</sup> सड़कों, पुलियाँ, कुएँ एवं नलकूपों सहित

श्रेणी	मूल्यहासित-शेष विधि की दरें	कार्याविधि (वर्षों में)
मोटर कार/ मोटर साइकिल, स्कूटर	२५.८९%	
मोटर बस/ ट्रक, ट्रैक्टर	३०%	
कम्प्यूटर	४०%	
फर्नीचर एवं जुड़नार	१८.१%	
विद्यालयों, महाविद्यालयों, सभा कक्ष, कल्याण केन्द्रों आदि में प्रयुक्त फर्नीचर एवं जुड़नार	२५.८८%	
मछली पकड़ने की नाव	२७.०५%	
अन्तः स्थलीय नाव	१०%	

## पूँजीगत-निधि

यह प्रश्न इस बात से संबंधित है कि आपने प्रथम स्तर पर अचल सम्पत्तियों की प्राप्ति एवं उनका लेखाङ्कन किस प्रकार से किया है। अधिकांश अचल सम्पत्तियों का क्रय परियोजना अनुदान की राशि में से किया जाता है। कई बार कुछ सम्पत्तियों का क्रय स्वयं की निधि से भी किया जाता है। कुछ प्रकरणों में सम्पत्तियाँ जन-सेवी संस्थाओं को दान के रूप में दे दी जाती हैं। इसलिए अब हम इन लेन-देनों की लेखाङ्कन प्रविष्टियों पर दृष्टि डालते हैं:

### १. परियोजना अनुदान से क्रय किये जाने पर:

जब सम्पत्ति का क्रय परियोजना अनुदान से किया जाता है तो निम्नलिखित प्रविष्टि की जाती है (प्रमाणक १):

लोक जागरण मंच	प्रमाणक १
	१-अप्रैल-०५
नामे फर्नीचर खाता - क्राइ	१०,१००
जमा बैंक खाता	१०,१००
सभाकक्ष के लिए श्री कखग से मेजों एवं कुर्सियों का क्रय किया गया।	

यह क्रय क्राइ के अनुदान के उपयोग की तरह दिखाया जाएगा। तथापि, इस राशि को आय एवं व्यय खाते में नहीं दर्शाया जा सकता क्योंकि यह व्यय नहीं है। ऐसी

स्थिति में, इस राशि को किस शीर्षक में दर्शाया जाएगा? इस राशि को तुलन-पत्र के परिसम्पत्ति वाले पक्ष में दर्शाया जाएगा।

इसके अतिरिक्त, एक उपयुक्त संतुलित प्रस्तुतीकरण के लिए एक पूँजीगत-निधि का सृजन तुलन-पत्र के देयता वाले पक्ष में किया जाना चाहिए (प्रमाणक २):

लोक जागरण मंच	प्रमाणक २
	१-अप्रैल-०५
नामे अनुदान खाता - क्राइ	१०,१००
जमा पूँजीगत निधि खाता	१०,१००
मेजों एवं कुर्सियों के क्रय की राशि को क्राइ के अनुदान खाते से पूँजीगत-निधि खाते में अंतरित किया गया।	

उपर्युक्त दो प्रविष्टियों के आधार पर तुलन-पत्र नीचे दर्शाए अनुसार होगा:

देयताएँ	रुपये	परिसंपत्तियाँ	रुपये
सामान्य निधि	१५,०००	फर्नीचर	१०,१००
पूँजीगत निधि	१०,१००	अन्य सम्पत्तियाँ	१५,०००
योग	२५,१००	योग	२५,१००

पूँजीगत-निधि के सृजन का प्रयोजन क्या है? यदि हम ऐसा न करें तो आय एवं व्यय खाते में १०,१०० रुपये का आयाधिक्य हो जाएगा। फिर इस राशि को नीचे दर्शाए अनुसार सामान्य-निधि में अंतरित कर दिया जाएगा:

देयताएँ	रुपये	परिसंपत्तियाँ	रुपये
सामान्य निधि	२५,१००	फर्नीचर	१०,१००
		अन्य सम्पत्तियाँ	१५,०००
योग	२५,१००	योग	२५,१००

इस प्रस्तुतीकरण से यह भ्रम उत्पन्न हो सकता है कि विभिन्न प्रयोजनों पर व्यय करने के लिए सामान्य-निधि में बहुत अधिक राशि उपलब्ध है।

इसलिए अचल सम्पत्ति की क्रय को प्रतिसंतुलित करने के लिए पूँजीगत-निधि का सृजन करना अधिक उचित होगा।

## २. स्वयं की निधि से क्रय किये जाने पर

जब स्वयं की निधि से सम्पत्तियों का क्रय किया जाता है तो प्रमाणक १ में दर्शाए अनुसार ही प्रविष्टि की जाती है। तथापि, इसके पश्चात् यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि क्या हमें इन सम्पत्तियों के लिए भी पूँजीगत-निधि का सृजन करना चाहिए? चूंकि इन सम्पत्तियों का क्रय किसी अनुदान राशि से नहीं किया गया है। बल्कि इनका क्रय सामान्य-निधि से ही किया गया है।

आइए देखें कि यदि हम पूँजीगत-निधि का सृजन नहीं करते हैं तो क्या होता है? ऐसी स्थिति में तुलन-पत्र नीचे दिए अनुसार दिखाई देगा:

देयताएँ	रुपये	परिसंपत्तियाँ	रुपये
सामान्य निधि	२५,१००	फर्नीचर	१०,१००
		अन्य सम्पत्तियाँ	१५,०००
योग	२५,१००	योग	२५,१००

इस प्रस्तुतीकरण एवं इससे उत्पन्न होने वाले भ्रम पर हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं।

एक अच्छा विकल्प यह होगा कि निम्न प्रकार से एक पूँजीगत-निधि सृजित की जाए (प्रमाणक २क):

लोक जागरण मंच	प्रमाणक २क
	१-अप्रैल-०५
नामे सामान्य निधि खाता	१०,१००
जमा पूँजीगत निधि खाता	१०,१००

मेजों एवं कुर्सियों के क्रय की राशि को सामान्य-निधि खाते से पूँजीगत-निधि खाते में अंतरित किया गया।

ऐसी स्थिति में तुलन-पत्र किस प्रकार से दिखाई देगा?

देयताएँ	रुपये	परिसंपत्तियाँ	रुपये
सामान्य निधि	२५,१००	फर्नीचर	१०,१००
घटाएँ: पूँजीगत निधि को अंतरित	-१०,१००	अन्य सम्पत्तियाँ	१५,०००
अंतिम शेष	१५,०००		
पूँजीगत निधि	१०,१००		
योग	२५,१००	योग	२५,१००

लेखा योग के अंक १०५ में जारी.....

## शब्दावली

अचल - फिक्स्ड  
अप्रचलित - ऑक्सलीट  
अवधारणा - कॉन्सेप्ट  
सम्पत्ति- असेट्स  
आयाधिक्य - सरप्लस  
जुड़नार - फिक्सचर्स  
तुलन-पत्र - बैलेन्स शीट  
देयता - लाइबिलिटी  
परिसम्पत्ति - असेट्स  
पक्ष - साइड  
प्रविष्टि - एंट्री  
प्रतिस्थापन - रिप्लेसमेन्ट  
प्रभारित - चार्ज  
प्रमाणक - वाउचर  
प्रयोजन - पर्पस्  
प्रारक्षित-निधि - रिज़र्व फण्ड  
पूँजीगत-निधि - कैपिटल फण्ड  
मूल्यहास - डेप्रीसिएशन  
सामान्य-निधि - जनरल फण्ड  
शीर्षक - हेडिङ्ग

**लेखा-योग क्या है** - 'मानक हिन्दी कोश' के अनुसार योग के कम से कम ४० अर्थ होते हैं। गणित में योग का अर्थ है दो संख्याओं को जोड़ना। आध्यात्मिक रूप से योग का अर्थ तपस्या अथवा साधना होता है। श्रीमद्भगवद्गीता में भगवान श्रीकृष्ण ने निष्काम कर्म को योग बताया है। लेखा कर्म में यह तीनों भाव अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं। यदि लेखाकार लेखा लिखने और योग लगाने में योगफल की चिन्ता न करें तो अवश्य ही संस्थाओं के लेखा-जोखा में सुधार होगा। लेखा-योग का यही उद्देश्य है।

**ऑगल भाषा में लेखा-योग** - This issue of Lekha:Yog is available in English as AccountAble.

**लेखा-योग का वाभ-स्वरूप** - लेखा-योग के सभी पुराने अङ्कों के ऑगल संस्करण (AccountAble) हमारे वाभ-स्थल [www.AccountAid.net](http://www.AccountAid.net) पर उपलब्ध हैं। इनका हिन्दी वाभ-स्वरूप कुछ समय पश्चात् प्राप्त हो सकेगा।

**विधि-व्याख्या** - यहाँ पर उल्लेखित विधि की व्याख्या साधारण जानकारी हेतु की गयी है। अतः निवेदन है कि कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पूर्व अपने परामर्शदाताओं से सम्मति ले लें।

**पत्राचार** - आपके प्रश्नों और सुझावों का स्वागत है। हमारा पता है - अकाउण्टएड इण्डिया, ५५-वी, खण्ड सी, सिद्धार्थ विस्तार, नई दिल्ली-११० ०१४; दूरभाष - ०११-२६३४ ३१२८; दूरभाष/प्रतिरूप प्रेषिका - २६३४ ६०४१; ई-प्रेष - [accountaid@vsnl.com](mailto:accountaid@vsnl.com); [accountaid@gmail.com](mailto:accountaid@gmail.com)

© AccountAid™ India विक्रम संवत् ज्येष्ठ २०६२; जून २००५ ईस्वी।